न्यायालय अपर जिला जज/ एफ०टी०सी०- प्रथम, सिद्धार्थनगर।

सिविल अपील सं०- १९/२०१४

रामेश्वर -----बनाम-----परमेश्वर आदि।

आदेश

दिनांकः- २९-११-२०१९

पत्रावली प्रार्थना पत्र ३२ क आदेश के लिए प्रस्तुत हुई है। प्रार्थना पत्र से प्रार्थी/अपीलार्थी ने न्यायालय को यह अवगत कराया है कि दौरान अपील प्रतिपक्षी सं० -५ की मृत्यु हो गई है। मृतक प्रतिपक्षी के जीवित वारिसान पत्नी व पुत्र है, जिनको बजरिये संशोधन प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है।

२- प्रतिपक्षीगण की ओर से आपत्ति करते हुए कहा गया कि प्रतिपक्षी सं० -५ की मृत्यु का दिनांक स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रस्तावित वारिसान के समर्थन में कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है और प्रार्थना पत्र में परिणामिक संशोधन की प्रार्थना नहीं की गई है, इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

३- आपत्तियों के पश्चात प्रार्थी/अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र ४२ ग से मृतक प्रतिपक्षी की मृत्यु के दिनांक को स्पष्ट करते हुए धारा ५ परिसीमा अधिनियम का लाभ दिये जाने की भी माँग की है।

४- उपरोक्त परिस्थितियों के पश्चात आपत्तिकर्ता की मुख्य आपत्ति यह रही कि वारिस कायमी के प्रार्थना पत्र में परिणामिक संशोधन की माँग नहीं की गई है , इसलिए प्रार्थना पत्र सि०प्र०सं० और सामान्य नियमावली सिविल के प्रावधानों के विपरीत है और खारिज किये जाने योग्य है।

५- सुना और अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदन और आपत्तियों का अवलोकन यह दर्शा रहा है कि प्रतिपक्षी सं० -५ की मृत्यु के तथ्य पर, मृत्यु की दिनांक के तथ्य पर और प्रस्तावित विधिक प्रतिनिधियों के तथ्य पर कोई तात्विक आपत्ति , आपत्तिकर्ताओं को नहीं है। एक मात्र सुसंगत आपत्ति प्रक्रिया के सम्बन्ध में है कि वारिस कायमी प्रार्थना पत्र के साथ परिणामिक संशोधनों की प्रार्थना नहीं की गई है। प्रार्थना पत्र ३२ क, के अवलोकन से विद्वान अधिवक्ता आपत्तिकर्ता का तर्क इस सीमा तक स्वीकार किये जाने योग्य पाया जा रहा है कि प्रार्थना पत्र प्रक्रिया के दृष्टिकोण से प्रारूपिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। प्रार्थना पत्र ३२ क में जिस सुभिन्नता के साथ स्पष्ट रूप से वारिस कायमी की प्रार्थना और उसके पश्चात संशोधन की प्रार्थना की जानी चाहिए थी, वह कुछ अस्पष्ट रूप से की गई है परन्तु प्रार्थना और उसके पश्चात कुछ शब्दों की त्रुटि के साथ संशोधन की माँग भी प्रार्थना पत्र ३२ क में सम्मिलित है। ऐसी दशा में यह निष्कर्ष प्राप्त हो रहा है कि कुछ अस्पष्टताओं के होते हुए भी नियम ३७ सामान्य नियमावली सिविल का पालन प्रार्थना पत्र ३२-क मे हुआ है।

६– विधि की यह मंशा है कि यदि सार और तत्व रूप से आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है तो प्रारूपिक या शाब्दिक त्रुटि के आधार पर मुख्य विवाद के निस्तारण में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। अतः न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र ३२ क को स्वीकार करते हुए तद्नुसार संसोधन के लिए प्रार्थी/अपीलार्थी को आदेश निर्गत किया जा रहा है। अपीलार्थी तीन दिन के भीतर आवश्यक कार्यवाही करे। नवसंयोजित प्रतिपक्षीगण की सुनवाई व अपील की सुनवाई हेतु पत्रावली दिनांक १२–१२–२०१९ को प्रस्तुत की जाए।

(संजय चौधरी)
अपर जिला जज/एफ०टी०सी०–प्रथम,
सिद्धार्थनगर।